न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 49/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. मदनलाल पुत्र श्री मोहनराम जाति प्रजापत, निवासी–ग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर		1. रामनिवास पुत्र श्री भगवानराम जाति–प्रजापत निवासी ग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर 2. ग्राम पंचायत गारासनी जरिये सरपंच पंचायत समिति भोपालगढ, जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध विक्रय विलेख पट्टा संख्या 18 मिसल संख्या 18/2004-05 दिनांक 23.12.2004 जो ग्राम पंचायत गारासनी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति:– 1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मंछाराम ताडा उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री महिपालसिंह उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांकः 13.08.2019

प्रार्थी मदनलाल पुत्र श्री मोहनराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थी रामनिवास पुत्र श्री भगवानराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत गारासनी द्वारा दिनांक 23.12.2004 को मिसल संख्या 18/2004-05 में जारी पट्टा संख्या 18 को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का ग्राम पंचायत गारासनी, पंचायत समिति भोपालगढ की पुरानी आबादी भूमि में रहवासीय मकान व भूखण्ड आये हुए हैं। अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत गारासनी द्वारा ग्राम गारासनी की आबादी भूमि में पटटा संख्या 18 नियम 150 से 152 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अन्तर्गत जारी किया गया जिस पर प्रार्थी के पिता श्री मोहनराम एवं चाचा लाबुराम का शुरू से ही पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है, जिसमें एक कच्चा झोंपड़ा बना हुआ है तथा जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 ने अविधिक रूप से ग्राम पंचायत से

पटटा संख्या 18 जारी करवाया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के साथ मिलावट करते हुए दिनांक 23.12.2004 को पटटा संख्या 18 बनाप 585 वर्गफुट ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवा दिया जो कि प्रार्थी के पुराने कब्जे की भूमि पर जारी कर दिया गया। आलौच्य पटटा विलेख संख्या 18 अन्तर्गत नियम 167 (1) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत जारी किया गया किन्तु इसमें न तो कोई सार्वजनिक आपत्तियां मांगी गई न ही उनका निस्तारण किया गया तथा न ही मिसल बनाई गई। उक्त सारी कार्यवाही बाले-बाले, आलौच्य पटटे की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी से करवाये बिना तथा नियमानुसार निलामी कार्यवाही व चस्पा कार्यवाही किये बिना ही उक्त पटटा जारी कर दिया। आलौच्य विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अनिवार्य प्रावधानों की पालना नहीं कि गई है। विक्रय विलेख में प्रार्थी के पिता व चाचा के कब्जे की भूमि का विक्रय किया गया जिस पर प्रार्थी के पिताजी के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थी व उनके चाचा ही काबिज चले आ रहे है तथा प्रार्थी को कब्जे से हटाये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे व मालिकाना हक की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 को पटटा जारी नही किया जा सकता है। प्रार्थी विवादित जायदाद पर पीढियों से काबिज चला आ रहा है तथा प्रार्थी के कब्जा सुदा भूखण्ड का पटटा किसी अन्य के नाम जारी करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई व सूचना का भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आलौच्य पटटा विलेख के आधार पर अप्रार्थी सं 1 प्रार्थी के कब्जासुदा भूखण्ड पर निर्मित कच्ची दीवार एवं झोपडे तोडने के लिए आये तो प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने सरपंच ग्राम पंचायत से आलौच्य पट्टा विलेख अपने नाम जारी होना बताने पर प्रार्थी ने आलौच्य पटटे की नकलें प्राप्त की तो केवल पटटे की नकल ही दी गई तथा मिसल की नकले मांगने पर कहा गया कि हमारे पास मिसल रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है।

अत: प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत गारासनी पंचायत समिति भोपालगढ द्वारा दिनांक 23.12.2004 को मिसल संख्या 18/2004-05 में जारी पट्टा संख्या 18 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मंछाराम ताडा ने अपनी बहस में निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त पट्टे से संबंधित मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी का कब्जा उक्त भूमि पर होने के बावजूद सुनवाई का अवसर दिये बिना व कोई नियम व प्रक्रिया की पालना किये बिना उक्त पट्टा जारी कर दिया गया। अत: उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत गारासनी पंचायत समिति

भोपालगढ द्वारा दिनांक 23.12.2004 को मिसल संख्या 18/2004-05 में जारी पट्टा संख्या 18 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री महिपालसिंह ने अपनी बहस में बताया कि उक्त निगरानीधीन पट्टे से संबंधित मूल रिकॉर्ड में पट्टा बुक में पट्टा है किन्तु पट्टे से संबंधित मिसल नहीं है। प्रार्थी की माता का बयान है कि बेचान किया गया था तथा उक्त पट्टा 10-20 वर्ष पूर्व उसको जारी किया गया है। अत: सरपंच ग्राम पंचायत गारासनी पंचायत समिति भोपालगढ द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 नियमानुसार एवं सही जारी होने से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जाकर दिनांक 23.12.2004 को मिसल संख्या 18/2004-05 में जारी पट्टा संख्या 18 को यथावत रखने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत गारासनी द्वारा दिनांक 23.12.2004 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है, तबसे प्रार्थी की जानकारी में होने के बावजूद कोई आपत्ति नहीं की गयी। अत: निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद के बिन्दू के आधार पर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गारासनी, पंचायत समिति भोपालगढ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर